अनुदान संख्या 48 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
GRANT No. 48 – DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted -					
मूल	Original	771,00,00		771,05,00	746,42,83	-24,62,17
पूरक	Supplementary	5,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					18,16,65

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	215.00	123.05	13.48	-109.57
पु.	R.	- 91.95			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	70885.00			
पू.	S.	5.00	75165.30	74629.35	-535.95
पु.	R.	4275.30			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6000.00	..	..	..
पु.	R.	-6000.00			

(I) ₹7720.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹7500.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹7720.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹7500.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - चिकित्सा और स्वास्थ्य में अनुसंधान" के अंतर्गत ₹1500.00 लाख नई स्कीमें शुरू न होने के कारण थे।

(A) Major Head "2210" – "Public Health – Training – Research in Medicine and Health"- ₹1500.00 lakhs - due to non-taking off of the new scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" - ₹6000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2552" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Indian Council of Medical Research, New Delhi" – ₹6000.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - स्वास्थ्य अनुसंधान विकास" के अंतर्गत ₹201.52 लाख की बचत (₹215.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से रिक्त पदों के न भरे जाने और अतिरिक्त पदों का सृजन न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Department of Health Research" – saving of ₹201.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹215.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-creation of additional posts owing to procedural delay.

(III) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2210" – savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य व्यय - चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय" - ₹1127.56 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्मिकों की कमी की वजह से स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) "Urban Health Services - Allopathy - Other Expenditure - Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research – saving of ₹1127.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of the scheme owing to shortage of manpower.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - स्वास्थ्य अनुसंधान का प्रोत्साहन, समन्वय और विकास" - ₹2273.13 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Promotion, coordination and development of Health Research – saving of ₹ 2273.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 4000.00 lakhs); and

(गा) "लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन" - ₹1000.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Public Health – Prevention and Control of Diseases – Management of Natural calamities – saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नई स्कीमें शुरू न किए जाने/शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-taking off/delay in taking off of the new scheme.

(घा) "सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - भारत और विदेश में सम्मेलनों का आयोजन/भागीदारी" - ₹534.96 लाख की बचत (₹580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत और विदेश में सम्मेलनों का आयोजन कम संख्या में किए जाने के कारण हुई।

(D) "General – International Co-operation – Organisation / Participation to conferences in India and Abroad" – saving of ₹534.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹580.00 lakhs) was due to holding of less number of conferences in India and abroad.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10400.00 लाख) से प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान" के अंतर्गत अगस्त 2011, नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹5.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹10395.00 लाख था।

2. The above savings were partly (₹10400.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹ 5.00 lakhs in August 2011, November, 2011 and March, 2012 under Major Head "2210" – "Medical Education, Training and Research - Allopathy – Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi". Actual excess, however, was ₹10395.00 lakhs.